राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / (ए–277 पार्ट I) / 2018 / दिनांकः–

आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में पंजीबद्ध एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 10195/2018 द्वारा श्रीमती अनिता कुमारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.05.2018 की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 11.06.2018 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थिया एक विकलांग महिला है, जिसके दो बच्चियां है तथा पति झुझुंनू में दुकान चलाते है एवं बच्चियों की देखभाल करने में दिक्कत हो रही है। अतः प्रार्थिया ने स्वयं का पदस्थान एएनएम के रिक्त पद पर जिला अलवर से जिला झुझुंनू में करने हेतु निवेदन किया है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.05.2018 का मुख्यांश निम्न प्रकार हैः–.

" In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State-respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order as expeditiously as possible in accordance with law. However, in no case later than four weeks from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order.

With the observations and directions, as indicated above, the writ application stands disposed off. "

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.05.2018 की पालना में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 11.06.2018 के क्रम में मेरे द्वारा विभाग में उपलब्ध/संधारित रिकार्ड के अवलोकन एवं मनन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रार्थिया एक विकलांग महिला है एवं उसके दो बच्चियां है एवं उसकी परिस्थितियां विषम है। प्रार्थिया के दो छोटे बच्चे होने से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त तथ्यों के मद्देनजर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुझुंनू के अधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद रिक्त नहीं होने के फलस्वरूप मैं उसका पदस्थापन उसकी प्रार्थना अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर के अधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पद पर करते हुए इस अभ्यावेदन का एतद् द्वारा निस्तारण करता हूं।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / (ए–277 पार्ट I) / 2018 / 1293 दिनांकः– 12/06/18

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर/अलवर
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्रीमती अनिता कुमारी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर